FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0067 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/05/2024 13:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	11
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 12/12/2023 **Date To (दिनांक तक):** 12/12/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/05/2024 **Time (समय):** 10:20 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/05/2024 13:02:54 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 15 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE CHOKI AANASAGAR, POLICE STATION GANJ AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BANSHIRAM

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** MOHAN LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	FAY SAGAR ROAD, CHAMUNDA COLONY, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	FAY SAGAR ROAD, CHAMUNDA COLONY, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9785909944

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BALDEVRAM ASI		पिता:GOPIRAM	1. VILLAGE LAMPAOLAE,VAYA MEDTACITY,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA
2	SHIMBHURAM GODARA		पिता:RAMLAL GODARA	1. VILLAGE BIKHRNIYA KHURD,POST BIKHRNIYA KLAN,DEGANA,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि पाँच हजार रूपये	5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 12.12.2023 को परिवादी श्री बंशीराम पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र 53 साल जाति कलाल निवासी चामुण्डा कॉलोनी, फॉय सागर रोड़, अजमेर ने मन् कंचन भाटी, निरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, इन्टै0, अजमेर को मित्तल हॉस्पीटल के पास उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ''सेवामें श्रीमान् सीआई साहब ए.सी.बी, इन्टेलिजेंस, अजमेर। विषय रिश्वत लेने बाबत् पक़वाने बाबत्। महोदय, नम्र निवेदन है कि दिनांक 20.11.23 को मुझे पुलिस चौकी आनासागर के प्रभारी श्री बलदेवराम ए.एस.आई. सिपाही शम्भुराम गोदारा व नन्दकिशोर चामुण्डो कॉलोनी मेरे घर पर आये तथा मेरे पास छः बीयर मिलने पर मेरे खिलाफ 30 बीयर का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जबकि मेरे पास छः ही बीयर मिली थी और मैने उनको कहा था कोई भी व्यक्ति 23 बीयर घर पर रख सकता है और मैं कपड़ा की दुकान करता हूॅ, फिर भी पुलिस चौकी आनासागर के इन्चार्ज ने मेरे खिलाफ झूंठा मुकदमा बना दिया गया। अब भी सिपाही नन्द किशोर मेरे से श्री बलदेव राम ए.एस.आई. के लिए मंथली के रूप में 5000 रूपये और खुद के लिए 2000 महिना मांग रहा हैं।'' कार्यावाही पुलिस कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे0 अजमेर दिनांक 12.12.2023 समयः-10.00 एएम दर्ज रहे परिवादी श्री बंशीराम ने समय 09.30 एएम पर मन् कंचन भाटी, निरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, इन्टै0, अजमेर को जरिये वाट्स-अप कॉल अवगत कराया कि आनासागर चौकी के पुलिस कर्मी मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे है। चूंकि मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री युवराज सिंह सउनि मय वाहन सरकारी मय चालक के मेड़ता के लिए रवाना होने से परिवादी को मित्तल हॉस्पीटल के पास मौजूद मिलने हेतु पाबन्द किया तथा श्री हुकमाराम कानि0 को कार्यालय अलमारी में से वॉयस रिकार्डर एवं नया मैमोरी निकालकर मित्तल हास्पीटल के पास पहुचने हेतु पाबन्द किया गया। इस समय मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मित्तल हॉस्पीटल के सामने पहुची, जहां पर परिवादी श्री बंशीराम उपस्थित मिला, जिसका परिचय प्राप्त किया तो अपना नाम श्री बंशीराम पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र 53 साल जाति कलाल निवासी चामुण्डा कॉलोनी, फॉय सागर रोड़, अजमेर मोबाईल नम्बर 9785909944 होना बताया तथा परिवादी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया तथा दरियाफ्त पर बताया कि दिनांक 20.11.23 को आनासागर चौकी के श्री बलदेव एएसआई एवं श्री नन्द किशोर सिपाही व शिम्भुराम गोदारा सिपाही मेरे घर पर आये। उस समय मेरे घर पर 6 बियर मिली थी, जबकि उन्होने 30 बियर रखने का मुकदमा दर्ज कर दिया और इस मुकदमें मे फाईल तैयार करने के नाम पर भी श्री नन्द किशोर सिपाही ने मेरे से 5000 रूपये ले लिये। श्री नन्द किशोर सिपाही और श्री शिम्भुराम मेरे से श्री बलदेवराम एएसआई के नाम से मंथली के 5000 रूपये एवं स्वयम् के लिए 2000 रूपये देने के लिए दबाव बना रहे हैं और रिश्वत नही देने पर और झूंठा मुकदमा बनाने की धमकी दे रहे है। मैं वर्तमान में कपड़े की दुकान करता हूॅ। मै इनको रिश्वत नही देना चाहता हूॅ। पूछने पर बताया कि मेरी इनसे किसी प्रकार की रजिंश नही है तथा ना ही कोई उधार का लेनदेन हैं। परिवादी श्री बंशीराम को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो उसमें तथ्य सही होना स्वीकार किया। पूछने पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वयम् द्वारा लिखा जाना बताया। तत्पश्चात परिवादी श्री बंशीराम को रिश्वत राशि मंाग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया। इसी दरमियान श्री हुकमाराम कानि0 मय वॉयस रिकार्डर एवं मेमोरी कार्ड के उपस्थित आया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा वायॅस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की समझाईश परिवादी को की गई। तत्पश्चात् वॉयस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड चालु कर परिवादी श्री बंशीराम को सुपुर्द कर परिवादी को उसकी स्कूटी से आनासागर चौकी के लिए रवाना किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री युवराज सिंह सउनि, श्री हुकमाराम कानि0 के मय वाहन सरकारी मय चालक के परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर आनासागर चौकी से कुछ दुरी पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी वाहन को साईड में

खड़ा कर वाहन में ही बैठी रही तथा परिवादी चौकी के अन्दर प्रवेश हुआ। कुछ समय बाद परिवादी आनासागर चौकी से बाहर निकला तथा स्कूटी से मित्तल हॉस्पीटल के पास पहुॅचा तथा पीछे-पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मित्तल हॉस्पीटल के पास पहुॅचे तथा परिवादी ने वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अवगत कराया कि उसकी श्री बलदेव एएसआई एवं श्री शिम्भुराम सिपाही से मंथली के संबंध में वार्ता हो गई हैं। श्री बलदेव एएसआई के लिए प्रतिमाह 5000 रूपये मंथली देना तय हुआ है, जो शिम्भुराम के मार्फत लेगा। वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई। वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री बंशीराम ने बताया कि श्री बलदेव एएसआई ने प्रतिमाह के हिसाब 5000 रूपये मांगे है, इसलिए मंथली की राशि लेने हेतु श्री शिम्भु कानि0 15-20 जनवरी के आस-पास मेरे से जरिये वाट्स-अप कॉल सम्पर्क करेगा। इस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि शिम्भु कानि0 द्वारा सम्पर्क करने पर रिश्वत राशि 5000 रूपये की व्यवस्था कर उपस्थित होवे। मन् निरीक्षक पुलिस कार्यालय पहुॅची तथा वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 18.01.24 को परिवादी श्री बंशीराम ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि अभी मैं सामाजिक कार्य से बाहर आया हुआ हूॅ तथा श्री शिम्भु सिपाही का मेरे पास दिनांक 11.01.24 और 18.01.24 को वाट्स-अप कॉल आया था परन्तु बाहर होने से मैने फोन नही उठाया। मैं अजमेर आकर शिम्भु से सम्पर्क कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 20.02.24 समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री बंशीराम उपस्थित कार्यालय हाजा आया तथा बताया कि मैं इतने दिन सामाजिक कार्यो में व्यस्त था तथा कुछ दिन अजमेर से बाहर था इसलिए उपस्थित नही हुआ। दिनांक 11.01.2024 एवं 18.01.2024 को श्री शिम्भु कानि0 का वाट्स-अप कॉल मेरे फोन पर आया था, लेकिन बाहर होने से मैने उसका फोन नही उठाया। वाट्स-अप कॉल के स्क्रीन शॉट की फोटो प्रति आपको पेश कर रहा हूॅ। अजमेर आने के बाद मैं दो-तीन बार आनासागर चौकी गया था परन्तु मुझे शिम्भु चौकी पर नही मिला इसलिए मैने आपको फोन नही किया। शिम्भु का फोन नही उठाने से नाराज होकर बलदेवजी एएसआई शिम्भुराम सिपाही ने मेरे विरूद्ध दिनांक 08-02-2024 को 24 पव्वे का झूठा मुकदमा दर्ज कर मुझे गिरफ्तार कर लिया था तथा मेरे उपर मंथली देने हेतु दबाव बनाया था। कल दिनांक 21.02.24 को शिम्भु के बारे में जानकारी कर मैं आपको जरिये दूरभाष अवगत करवा दूंगा। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार किये जाने हेतु स्वतन्त्र गवाहान श्री विश्राम, सहायक लेखाधिकारी एवं श्री भागीरथ, सूचना सहायक जिला परिवहन कार्यालय अजमेर को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाकर कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात् कार्यालय अलमारी में से वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाया जाकर परिवादी श्री बंशीलाल एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 12.12.2024 को परिवादी व आरोपीगण श्री बलदेव सउनि एवं श्री शिम्भु कानि0 के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर मे लगे 32जी.बी. एस.डी. कार्ड मे रिकार्ड है की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की गई तथा तीन सीडीया तैयार की जाकर अलग-अलग कागज के लिफाफे मे रखी गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क ”एम.” अंकित किया जाकर फर्द एवं थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। आमदा परिवादी एवं दो स्वतन्त्र गवाहान को बाद आवश्यक हिदायत रवाना किया गया। दिनांक 21.02.2024 को परिवादी श्री बंशीराम पुलिस चौकी आनासागर गया परन्तु चौकी पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मौजूद होने एवं काफी भीड़ होने से कोई वार्ता नही हुई। दिनांक 26.02.2024 को श्री परिवादी श्री बंशीराम से जरिये वाट्स-अप कॉल पर परिवादी से वार्ता कर शिम्भु कानि0 से सम्पर्क करने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं बार-बार चौकी पर जाउंगा तो उनको शक हो जायेगा। शिम्भु कानि0 10 तारीख के आस-पास मंथली के लिए मेरे से जरिये वाट्स-अप सम्पर्क करेगा तो मैं आपके पास उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 11.03.2024. को परिवादी श्री बंशीराम से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि श्री बलदेवराम एएसआई का ट्रांसफर पुष्कर एवं श्री शिम्भु कानि0 का ट्रांसफर चौकी से अन्यत्र हो गया हैं। चूंकि आरोपीगण का ट्रांसफर आनासागर चौकी से अन्यत्र हो चुका हैं इसलिए अब ट्रेप कार्यवाही की संभावना नही है। उपरोक्त तथ्यो एवं अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी द्वारा दिनांक 20.11.23 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि आनासागर चौकी के श्री नन्द किशोर सिपाही और श्री शिम्भुराम मेरे से श्री बलदेवराम एएसआई के नाम से मंथली के 5000 रूपये एवं स्वयम् के लिए 2000 रूपये देने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस रिश्वत का मांग सत्यापन करवाया गया तो दिनांक 12.12.2023 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी आनासागर चौकी में जाकर शिम्भु कानि0 से मिलता है तो श्री शिम्भु कानि0 कहता है ” फर्जी.....” परिवादी कहता है पांच हजार रूपये देता हू। इस आरोपी कहता है कि ”महिने के 1500 रूपये” तो परिवादी कहता है कि ”इतना बड़ा धन्धा थोडी कर रहा हू।” इस पर आरोपी शिम्भु कहता है कि ”पहले करता था....।” परिवादी कहता है कि ”क्या मतलब हुआ..... अब बंद कर दिया, साहब ने एक बियर का केस बनाने के लिए कहा और 30 बियर का केस बना दिया।” इस पर आरोपी शिम्भु कहता है कि ”मै तुम्हे कह रहा था ना मुझे दे दो रूपये मत दे तु..... कौन कौन लाता है तुम से रूपये।” इस पर परिवादी कहता है कि ”तुम लेकर जाते हो तुम्हे ही देता हूॅ।” आरोपी शिम्भु कहता है कि ” उतने तो देता नही जितने का कहा हुआ है मैं देता हॅू ले जाकर।” इस परिवादी कहता है कि ”तुम साहब के लिए कहते हो और साहब तुम्हारे लिए।” शिम्भु परिवादी से ”फाईल चार्ज के 1000 देने हेतु कहता हैं।” तत्पश्चात् परिवादी एवं आरोपीगण

श्री बलदेव सउनि एवं श्री शिम्भु कानि0 के आपस में वार्ता होती है, तब शिम्भु कहता है कि ''तीन महिने से पांच हजार देता है उसमें भी पचास बार गिना देता है।'' इस पर आरोपी श्री बलदेव कहता है कि ''एक महिने से देता है'' जिस पर शिम्भु कहता ''तीन महिने से'' इस पर आरोपी श्री बलदेव कहता है कि ''तीन महिने से नही एक महिने से दे'' इस परिवादी कहता है कि ''एक महिने से दे दूंगा अब से साहब'' तो आरोपी बलदेव कहता है कि ''एक महिने के पांच दे।'' इस पर परिवादी पांच हजार देने की सहमति देता हैं। इस पर आरोपी बलदेव कहता है कि ''कहा देता है अभी तक दिये कहा।'' इस पर परिवादी कहता है कि ''अब से शुरू करेंगे, उसमें दे देगे सा....कपड़े की दुकान... इतना कोई मेरे कोई प्रोफीट थोडी हैं।'' इस प्रकार आरोपी श्री बलदेवराम सउनि एवं श्री शिम्भुराम गोदारा कानि0 2896 द्वारा आपस मे मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग कर श्री शिम्भुराम गोदारा कानि0 द्वारा परिवादी श्री बंशीराम पर मुकदमा बनाने का दबाव बनाकर श्री बलदेवराम सउनि के लिए 5000 रूपये मंथली के रूप में रिश्वत अभिप्राप्त करने हेतु दुष्प्रेरण करना पाया गया हैं। आरोपी श्री शिम्भुराम गोदारा कानि0 द्वारा बतौर लोकसेवक होते हुए परिवादी पर शराब का मुकदमा दर्ज नही करने की एवज में आरेापी लोकसवेक श्री बलदेवराम एएसआई के लिए 5000 रूपये मंथली देने का दबाव बनाना व स्वयम् बलदेवराम द्वारा 5000 रूपये मंथली लेना तय करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है, जिसकी पुष्टि फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से होती हैं। इस प्रकार आरोपीगण का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 11, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री बलदेव राम, सहायक उप निरीक्षक एवं श्री शिम्भूराम गोदारा कानि0 2896 तत्कालीन पुलिस चौकी आनासागर, पुलिस थाना गंज, अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 11, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। भवदीय, (कंचन भाटी) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टेलीजेंस यूनिट अजमेर।.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टेलीजेंस यूनिट , अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 11,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1- श्री बलदेवराम पुत्र श्री गोपीराम, निवासी गांव लाम्पोइ वाया मेडता सिटी जिला नागौर तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी आनासागर, पुलिस थाना गंज अजमेर हाल पुलिस थाना पुष्कर अजमेर एवं 2- श्री शिम्भूराम गोदारा पुत्र श्री रामलाल गोदारा निवासी गांव बिखरनियां खुर्द पोस्ट बिखरनिया कलां तहसील डेगाना पुलिस थाना पादूकलां जिला नागौर तत्कालीन कानि. नम्बर 2896, पुलिस चौकी आनासागर, पुलिस थाना गंज अजमेर हाल पुलिस लाइन अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री राकेश वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर एस.यू., अजमेर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 20 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 332-35 दिनांक 02.05.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर। 3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टेलीजेंस यूनिट , अजमेर पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rakesh Kumar Verma **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/05/2024 13:04:33

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/06/1972				
2	Male	17/01/1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)